यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला समाज कल्याण अ धकारी, टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला समाज कल्याण अ धकारी, टिहरी के माह 04/2014 से 09/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अरिन्दम चटर्जी सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी श्री महेश चन्द्र पर्यवेक्षक एवं श्री दया शंकर वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12.10.2017 से 30.10.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री राज बहादुर, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी एवं श्री र व शंकर, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 15.04.17 से 23.04.17 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2011 से माह 03/2014 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 09/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा जनपद के अंतर्गत जनपद के अनुसू चत जाति, जनजाति, अन्य पछडा वर्ग एवं समाज के कमजोर वर्ग आदि के उत्थान के लए व भन्न पेन्शन योजनाओं, छात्रवृ त्त शादी वमारी, अनुसू चत जाति/जनजाति छात्रावास एवं अनुसू चत जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सु वधाओं का वकास आदि योजनों के माध्यम से कार्य कया जाता है।

(II) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आ धक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आ धक्य	आवंटन	व्यय	
2014-15	--	--	124.40	117.27	7.13	5475.42	5475.42	--
2015-16	--	--	158.51	145.62	12.89	5172.67	5172.67	--
2016-17	--	--	144.97	143.44	1.53	5968.73	5741.89	226.84

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाइयों के वगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः

लागू नही

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

योजना का नाम	2015-16			2016-17		
	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)	Nil	305.42	305.42	Nil	66.00	66.00
अनु. जाति दशमोत्तर छात्रवृ त्त	Nil	24.72	24.68	0.04	173.23	115.76
अन्य पछडी जाति दशमोत्तर छात्रवृ त्त	Nil	44.44	43.71	0.73	91.81	5.88
अनु. जनजाति दशमोत्तर छात्रवृ त्त	Nil	44.39	20.01	24.38	Nil	Nil

(iii) इकाई को बजट आवंटन निदेशक समाज कल्याण (स्त्रोत बताया जाए) द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई "अ" श्रेणी की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव, समाज कल्याण, 2. निदेशक समाज कल्याण 3. जिला समाज कल्याण

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय द्वारा गरीब, निर्बल, परितकता, निःशक्त आर क्षत श्रेणी के लोगों क व भन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ प्रदान कया जाता है। (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अं कत कया जाए) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला समाज कल्याण अ धकारी, टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 03/2016 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। प्रतिचयन अ धकतम व्यय के आधार पर कया गया। शादी एवं बीमारी योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, दशमोत्तर छात्रवृ त्त योजना, अनुसू चत जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सु वधाओं का वकास, कौरा देवी कन्याधन योजना, वकलांग पेंशन योजना आदि (जिस योजना का चयन कया गया सका नाम अं कत कया जाए) का वष्लेषण कया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत कये गये व्यय (प्रतिचयन व ध का नाम अं कत कया जाए) के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 01:- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनान्तर्गत धनराशि रु0 5.06 लाख का व्यय आवंटन से अधिक किया जाना, धनराशि रु0 15.03 लाख का व्यय गैर अनुमन्य मदों पर किया जाना तथा धनराशि रु0 36800 के अग्रिम का समायोजन नहीं किया जाना।

ग्राम्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 मार्च 2014 को जारी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देश के नियम 7 के अनुसार वर्ष के दौरान कुल व्यय के तीन प्रतिशत तक प्रशासनिक मदों पर व्यय निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा सकता है। योजनान्तर्गत अन्य व्यय मदों में निम्न पर व्यय किया जाना अनुमन्य है; पेंशन कार्ड, आवेदन पत्र की छपाई एवं वितरण, विकलांग पेंशन लाभार्थी के प्रमाण पत्र के लिए कैम्प के आयोजन, सूचना, शिक्षा एवं प्रचार के लिए कार्य, नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास के कार्मिकों आदि के प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध सूचना तंत्र मदों पर व्यय आदि। इस मद में वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय, वाहन क्रय एवं मरम्मत, निर्माण कार्य आदि मदों पर व्यय किया जाना अनुमन्य नहीं है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी गढवाल के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्य व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों तथा उपलब्ध करायी गयी सूचना की जॉच में पाया गया कि योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 से 2016–17 की अवधि में रु0 21.50 लाख की धनराशि का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसके सापेक्ष उक्त अवधि में धनराशि रु0 26.56 लाख का व्यय किया गया था अर्थात उक्त अवधि में रु0 5.06 लाख का अधिक व्यय किया गया था। आगे वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में किये व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि इकाई द्वारा योजनान्तर्गत गैर अनुमन्य मदों जैसे कम्प्यूटर क्रय, डीजल क्रय, कार्यालय भवन साज सज्जा, विद्युत बिल आदि मदों पर व्यय किया गया था। उपरोक्त अवधि में निम्न विवरणानुसार धनराशि रु0 15.03 लाख का व्यय गैर अनुमन्य मदों पर किया गया था। विवरण निम्नवत् है;

क्र.सं.	मद	क्रय/भुगतान का दिनांक	संख्या	धनराशि
1	कार्यालय स्टेशनरी	30.10.2016		38845
2	कार्यालय भवन साज सज्जा	02.08.2016		151100
3	डीजल क्रय	02.11.2016		5425
4	डीजल क्रय	01.07.2016		34445
5	विद्युत बिल	21.12.2016		3538
6	कम्प्यूटर क्रय	21.08.2016		178200
7	फर्नीचर क्रय	07.07.2016		38243
8	फर्नीचर क्रय	05.07.2016		50380
9	वाहन किराया	26.12.2016		8000
10	कम्प्यूटर सामग्री टोनर	28.08.2016	10	49000
11	कम्प्यूटर क्रय	26.08.2016	03	135000
12	कम्प्यूटर सामग्री टोनर	26.08.2016	12	55500
13	कम्प्यूटर सामग्री टोनर	11.08.2016	10	46000

14	ए एम सी कम्प्यूटर के लिए	05.08.2016	01	48000
15	कम्प्यूटर सामग्री टोनर, कार्टेज	05.08.2016	09	44100
16	कम्प्यूटर सामग्री टोनर	15.06.2016	10	42000
17	कम्प्यूटर सामग्री टोनर	15.06.2016	14	57300
18	पूर्व दशम छात्रवृत्ति डाटा लाक करने के लिए	06.04.2017		30915
19	सी.सी. टीवी कैमरा आदि क्रय	20.05.2017		82000
20	सी.सी. टीवी कैमरा आदि क्रय	20.05.2017		87750
21	कम्प्यूटर सामग्री क्रय	08.03.2016		24600
22	कम्प्यूटर सामग्री क्रय	18.03.2016		38500
23	कम्प्यूटर सामग्री क्रय	10.07.2016		5400
24	कम्प्यूटर सामग्री क्रय	10.12.2016		49500
25	कम्प्यूटर सामग्री क्रय	10.03.2016		59750
26	कम्प्यूटर सामग्री क्रय	05.08.2016		71800
27	डीजल क्रय	02.12.2016		10512
28	डीजल क्रय	01.01.2017		30146
29	डीजल क्रय	02.02.2017		14362
30	डीजल क्रय	01.03.2017		12320
	कुल योग			**1502631**

उपरोक्त विवरणानुसार इकाई द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय मद में गैर अनुमन्य मदों पर व्यय किया गया था। आगे अभिलेखों की जॉच में यह भी पाया गया कि श्री सूरत सिंह पयाल, अनुसेवक को मार्च 2017 में धनराशि रु0 10,000 का तथा श्री विनोद कुमार उनियाल, सहा. समाज कल्याण अधिकारी को अप्रैल 2017 में धनराशि रु0 26,800 कुल धनराशि रु0 36,800 का अग्रिम प्रदान किया गया परन्तु वर्तमान तक उनके द्वारा प्रदान की गयी अग्रिम का समायोजन प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार से इकाई द्वारा योजनान्तर्गत धनराशि रु0 5.06 लाख का व्यय आवंटन से अधिक किया गया, धनराशि रु0 15.03 लाख का व्यय गैर अनुमन्य मदों पर किया गया तथा धनराशि रु0 36800 के अग्रिम का समायोजन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि कार्यालय की आवश्यकताओं को देखते हुए आवंटन से अधिक व्यय किया गया है भविष्य में नियमानुसार ही व्यय किया जाएगा परन्तु अधिक व्यय किस मद से किया गया के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया। गैर अनुमन्य मदों पर व्यय के सम्बन्ध में निदेशालय स्तर से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। यह भी अवगत कराया कि दिये गये अग्रिम का समायोजन शीघ्र ही किया जाएगा।

अतः राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनान्तर्गत धनराशि रु0 5.06 लाख का व्यय आवंटन से अधिक किये जाने, धनराशि रु0 15.03 लाख का व्यय गैर अनुमन्य मदों पर किये जाने तथा धनराशि रु0 36800 के अग्रिम का समायोजन नहीं किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 02:- गौरा देवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को दोहरा भुगतान होने के कारण रू 1.00 लाख का अनियमित व्यय।

शासनादेश सख्यॉ 749/XVII-4/2016-01(135)2013- टी.सी–1 (05/16) के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2016–17 माह 05/2016 के अनुसार योजना के अन्तर्गत पात्र गौरा देवी कन्याधन योजनान्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं सामान्य वर्ग के उन परिवारों को लाभ दिया जायेगा जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें हो अथवा जिनकी वार्षिक आय रू 15976/(ग्रामीण क्षेत्रों) एवं में 21206/–शहरी क्षेत्र से अधिक न हो।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी नई टिहरी के लेखाभिलेखों में पाया गया कि गौरा देवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जाति के 02 लाभार्थियों का रू 1.00 लाख (रू 50000की दर से) दोहरा भुगतान किया गया है। जो कि अनियमित भुगतान है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में जांचोउपरान्त आवश्यक कार्यवाही कर अवगत कराया जायेगा। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्योकि लाभार्थियों का योजना का लाभ बी पी एल सूची के अनुसार ही दिया जाने का प्रवधान है। लाभार्थियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी बी.पी.एल सूची का मिलान जनपद में उपलब्ध बी.पी.एल सूंची से शतप्रतिशत होना चाहिए था।

अतः गौरा देवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को दोहरा भुगतान होने के कारण रू 1.00 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण सज्ञांन में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 03:- दशोमोत्तर छात्रवृत्ति मद में कार्यालय द्वारा भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थान के भिन्न भिन्न कोर्स में धनराशि ₹ 1.91 लाख की अधिक भुगतान।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 14-11-2014 के बिंदु सं 12 के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कार्यालय में प्राप्त नवीन/नाबिनीकरण ऑनलाइन छात्र सूची को जाँच हेतु सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। सहायक समाज कल्याण अधिकारी संस्थान में जाकर सूचि में अंकित छात्रों के भौतिक सत्यापन के अतिरिक्त मुख्य रूप से जाति, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, सम्बंधित संस्था में संचालित कोर्स की मान्यता एवं कोर्स हेतु निर्धारित फीस स्ट्रक्चर आदि सूचनाओ की जाँच करेगा। सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गए समय के अंतर्गत अपनी जाँच आख्या जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। जाँच में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा बिलम्ब के लिए सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसके उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ई –पेमेंट के माध्यम से सीधे लाभार्थियो के सी. बी. एस बैंक खाते में छात्रवृत्ति की भुगतान किया जायेगा।

1. कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी के ,अनुसूचित जाति जनजाति ,दशमोत्तर छात्रवृत्ति सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया की AFCI Institute Of Management College, Aampata, po- Jajal T.G के BBA, BBA(HM) एवं BCA कोर्स हेतु श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्यविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस प्रति सेमिस्टर ₹20000=00 दर्शाया गया था अर्थात प्रति वर्ष ₹ 40000=00 था। भारत सरकार के छात्रवृत्ति सम्बंधित दिशानिर्देश के अनुसार BBA, BBA(HM) एवं BCA कोर्स हेतु Maintenance allowance प्रति माह 550 ₹=भुगतान करना है अर्थात 10 माह में ₹ 5500 00= 00 । भुगतान करना है अर्थात प्रति छात्र ₹)40000=005500 ₹ + =00) = ₹45500/- धनराशि का भुगतान छात्रवृत्ति के रूप में करना चाहिए था। कार्यालय द्वारा वर्ष 2014-के उपरोक्त कॉलेज की भुगतान सूचि की 15 जाँच में यह देखा गया की प्रति छात्र ₹ 48200=। के हिसाब से छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था 00 विवरण निम्नरूप है -:

कोर्स के नाम	दिशानिर्देशो के अनुसार छात्रवृत्ति	भुगतानित छात्रवृत्ति	अधिक भुगतान	छात्र सं	कुल अधिक भुगतान
BBA	45500	48200	2700	10	27000
BCA	45500	48200	2700	03	8100
BBA(HM)	45500	48200	2700	09	24300
				योग	**59400**

2) Omkarananda Institute of Management & Technology, Rishikesh के वर्ष 2014-15 में MBA कोर्स हेतु 11 लाभार्थियो को कार्यालय द्वारा प्रति छात्र धनराशि ₹ 72500=00 छात्रवृत्ति के रूप में भुगतान किया गया था । जबकि उपरोक्त शिक्षण संस्थान के MBA कोर्स हेतु उत्तराखंड शासन के 04/2010 के शासनादेश अनुसार शिक्षण शुल्क ₹ 55000=00 था साथ ही भारत सरकार के दिशानिर्देशो में MBA कोर्स हेतु Maintenance allowance ₹ 550=00 प्रति माह दर्शाया गया है अर्थात (55000 + 5500) = ₹ 60500/- प्रति छात्र भुगतान करना था। कार्यालय द्वारा वर्ष 2014-15 में MBA कोर्स हेतु 11 लाभार्थियो को भुगतान की गयी छात्रवृत्ति निम्नरूप :

कोर्स के नाम	दिशानिर्देशो के अनुसार छात्रवृत्ति	भुगतानित छात्रवृत्ति	अधिक भुगतान	छात्र सं	कुल अधिक भुगतान
MBA	60500	72500	12000	11	**132000**

उपरोक्त दोनों शिक्षण संस्थान में भिन्न भिन्न कोर्स में कुल धनराशि ₹ 191400=00 की अधिक भुगतान परिलक्षित हो रहा है। लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया है की सम्बंधित शिक्षण संस्थान से पत्राचार कर अधिक भुगतान की धनराशि वसूली की जाएगी।

अतः दशोमोत्तर छात्रवृत्ति मद में कार्यालय द्वारा भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थान के भिन्न भिन्न कोर्स में धनराशि ₹ 1.91 लाख की अधिक भुगतान की प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 04:- कार्यालय द्वारा बैंक खातों में रू 159376 लाख धनराशि अनावश्यक रुप से अवरुद्ध रखा जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या; 99/xxvii(14)/2009 दिनांक 03 सितम्बर, 2009 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी विभागों के कार्यो हेतु बैंक में खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/अवधि हेतु अनुमति प्राप्त न की गयी हो। यदि कोई अनाधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बन्द कर दिया जाय एवं खाते में अवशेष धनराशि विभागीय पी. एल.ए में रखी जाय तथा उस पर अर्जित ब्याज सुसंगत लेखा शीर्षक 0049 में तत्काल जमा कर दिया जाय। यह भी वर्णित है कि जब किसी कार्य के लिए तत्काल धन की आवश्यकता हो तभी कोषागार से आहरित किया जाय।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, नई टिहरी की रोकड बही एवं सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन के लिए 03 बैंक खातों का संचालन अनाधिकृत रुप से किया जा रहा है, जिसके संचालन के लिए उपरोक्त प्रावधानानुसार शासन के वित्त विभाग से कोई अनुमति नहीं प्राप्त की गयी है।योजनाओं के अन्तर्गत शासन/निदेशालय स्तर से आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरित कर इन बैंक खातों में रखा जाता है। आगे जॉच में पाया गया कि अधिकतर सभी योजनाओं में आवंटित धनराशि को प्रगति प्रतिवेदनों में सत्प्रतिशत व्यय दर्शाया गया जबकि विगत दो वर्षो में बैंक से प्राप्त किये गये विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष के अन्त में निम्नानुसार धनराशि पडी हुई थी :–

(धनराशि ` लाख में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	खाता संख्या	03/2017 के अन्त में अवशेष धनराशि	08/2017 के अन्त में अवशेष धनराशि
1	S B I Narender Nagar	35581218596	265.09	1056.80
2	S B I Narender Nagar	3067013975	0.69	57.56
3	S B I Narender Nagar	10803644280	15.18	479.40
	कुल योग			**1593.76**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा तिथि माह 09/2017 के अन्त में भी उक्त सभी बैंक खातों में रु0 1593.76 लाख की धनराशि अनावश्यक रुप से अवरुद्ध पडी है। यह भी पाया गया कि इन बैंक खातों से किये जा रहे लेन–देनों के लिए अलग से रोकड बही का रख रखाव नहीं किया जा रहा है तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में बैंक खाते में शेष धनराशि का योजनावार शेष का विवरण नहीं बनाया जाता है। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता कि बैंक में जमा धनराशि किस योजना की कितनी धनराशि है। प्रत्येक वर्ष के अन्त में इन बैंक खातों के सम्बन्ध में बैंक समाधान विवरण भी नहीं बनाया जाता। यह भी पाया गया कि योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित एवं कोषागार से आहरित सम्पूर्ण धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन/निदेशालय को शतप्रतिशत् धनराशि के व्यय किये जाने का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा रहा था जबकि बैंक विवरणी के अनुसार उक्त योजनाओं में वर्ष के अन्त में धनराशि शेष पडी हुई थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि बैकों में पड़ी धनराशि विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित है जिसे वितरण कर यथाशीध्र नियमानुसार सभी बैक खातों को बन्द किया जायेगा। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि होती है।

अतः कार्यालय द्वारा बैक खातों में रू 1593.76 लाख की धनराशि अनावश्यक रूप से अवरूद्व रखे जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 05:- भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग के 08 अपात्र लाभार्थियो को ₹ 4.58 लाख अनियमित छात्रवृत्ति की भुगतान। ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति के ऑनलाइन भुगतान सम्बंधित शासनादेश दिनांक 11/2014 के अनुसार भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में 1.00 लाख वार्षिक आय वाले माता-पिता के पाल्य पात्र होंगे किन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति फण्ड लिमिटेड योजना होने से इस योजना के अंतर्गत केवल ए. आई. सी. टी. ई./एम. सी. आई/एन. सी. टी. ई तथा तकनिकी शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड के ऐसे पात्र छात्र/छात्राओ को लाभान्वित किया जायेगा जिनका प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत जिन छात्र/छात्राओ का प्रवेश मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत हुआ हो, ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ नही दिया जायेगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी के दशमोत्तर छात्रवृत्ति सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2013-14 से निजी स्ववित्त बी एड संस्थानों के लिए शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल ने अपने पत्र दिनांक 19/09/2013 द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त निजी स्ववित्त पोषित बी. एड संस्थान के लिए शिक्षण शुल्क निर्धारण किया गया था जो की निम्नबत है :-

1	राज्य कोटे की सीटों हेतु निर्धारित शुल्क (सरकारी कोटे की सीटों का शुल्क)	42000=00 प्रति
2	प्रवंधकीय कोटे की सीट हेतु निर्धारित शुल्क	55000=00 प्रति

अन्य पिछड़ा वर्ग के B. Ed कोर्स के लाभार्थियो हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित Maintenance allowance प्रति माह ₹ 210=00 के दर से प्रति छात्र को ₹ 2100=00 का भुगतान करना है। शिक्षण शुल्क मद में यदि लाभार्थी राज्य कोटे से नामांकन किया हो तो ₹ 42000=00 के दर से कुल छात्रवृत्ति ₹ 44100=00 (2100 + 42000) होता है । यदि नामांकन प्रवंधकीय कोटे से हो तो कुल छात्रवृत्ति ₹ 57100=00 (2100 + 55000) होता है।

कार्यालय के दशमोत्तर छात्रवृत्ति सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया की सम्बद्ध विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रबंधकीय कोटे में नामांकन प्राप्त किये Modern Institute of Technology, Dhalwala, Rishikesh एवं Omkaranand Institute of Management & Technology (Aicte/MBA) शिक्षण संस्थान की क्रमश 05 एवं 03 अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियो जो की B. Ed कोर्स हेतु वर्ष 2014-15 में Tution fee मद में प्रति छात्र ₹ 55000=00 के अनुसार भुगतान किया गया था। विवरण निम्नरूप है :-

Name of the Institute	Name of the beneficiary	Application Number	Father name	Disbursed Scholarship amount
Modern Institute of Technology, Dhalwala, Rishikesh	Rama Gupta	3511001171	Subhash Chand Gupta	57100
	Vimalesh Jaguri	3511001123	Vedprakash Jaguri	57100
	Poonam	3511001145	Jagat Ram	57100
	Ajay kumar Yadav	35110013	Prahlad Ram Yadav	55000
	Anjna	351100179	Ramkishor Nautiyal	57100
Omkaranand Institute of Management & Technology (Aicte/MBA)	Rekha Rani	351100810	Dheer Singh	58350
	Lakchami Narayan	351100811	Prama Nand Bhatt	58350
	Meena Nautiyal	351100826	Madan Mohan Nautiyal	58350
			Total	**458450**

उपरोक्त से यह स्पष्ट हो रहा है की कार्यालय द्वारा दोनों शिक्षण संस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग के 08 लाभार्थियो को, जो की प्रबंधकीय कोटे में नामांकन प्राप्त किये थे, शासन के दिशानिर्देशो का उल्लंघन कर धनराशि ₹ 4.58 लाख की छात्रवृत्ति भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति पर सहमत प्रदान करते हुए बताया गया की पुनः सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जाँच करवाई जाएगी एवं अधिक भुगतान की पुष्टि होने पर वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

अतः भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग के 08 अपात्र लाभार्थियो को ₹ 4.58 लाख अनियमित छात्रवृत्ति की भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 06:- भारत सरकार की दिशानिर्देशो का उल्लंघन कर वर्ष 2015-16 में धनराशि ₹ 52.61 लाख की छात्रवृत्ति का भुगतान बैंक के माध्यम से नही किया जाना।।

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति सम्बंधित दिशानिर्देश दिनांक 01-07-2010 के भुगतान सम्बंधित प्रस्तर में यह निर्देश दिया गया था की-- In order to ensure timely payment of scholarship amount to the beneficiaries, the State Government/UT administrations are requested to avoid cash payment of scholarship amount and are required to issue instruction to all concerned that payment of scholarship should be made to beneficiaries through their account in post offices/banks.

उपरोक्त के सापेक्ष उत्तराखंड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 11/2014 के बिंदु सं 14 में बताया गया है की --- सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी सम्बंधित संस्थान द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने के उपरांत ई-बिल तथा पात्र छात्र के नाम एवं सी. बी. एस खातों का विवरण सहित कोषाधिकारी को ऑनलाइन प्रेषित करेंगे। सम्बंधित कोषाधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क का भुगतान सीधे सम्बंधित छात्र के सी. बी. एस खाते में सुनिश्चित किया जायेगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी की वर्ष 2015-16 के दशमोत्तर छात्रवृत्ति सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया की उस वर्ष के अंत में धनराशि ₹ 52,61,445=00 की भुगतान दिशानिर्देश का उल्लंघन कर कोषागार द्वारा न कराके कार्यालय द्वारा संचालित बैंक के माध्यम से किया गया है जिसकी विवरण निम्नरूप है :-

दिनांक	मद	बैंक का नाम	भुगतानित धनराशि
31-03-2016	SC	SBI	991300
	OBC	PNB	15200
	OBC	SBI	22800
	OBC	SBI	992315
28-04-2016	OBC	DCB	6300
31-03-2016	OBC	PNB	201530
11-08-2016	ST	SBI	2147200
31-03-2016	ST	PNB	428300
	ST	SBI	456500
		Total	**5261445**

लेखापरीक्षा के दौरान पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा बताया गया है की शासनादेश सं 635 दिनांक 27 मार्च 2015 के अनुसार अभुगतानित लाभार्थियो को NEFT के माध्यम से भुगतान किया गया। कार्यालय की उत्तर मान्य नही है कारण उक्त शासनादेश वर्ष 2014-15 के लिए निर्गत किया गया था एवं उल्लिखित था के उस वर्ष में वित्तीय वर्ष समाप्त होने में मात्र चार दिन शेष रह गये थे, अतः लाभार्थियो को NEFT के माध्यम से भुगतान किया जाये। कार्यालय द्वारा इस शासनादेश को अगले वित्तीय वर्ष के लिए लागु नही करना था।

अतः भारत सरकार की दिशानिर्देशो का उल्लंघन कर वर्ष 2015-16 में धनराशि ₹ 52.61 लाख की छात्रवृत्ति का भुगतान बैंक के माध्यम के किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 07:- कार्यालय की उदासीनता के कारण सम्प्रेक्षा अवधि तक धनराशि ₹ 1.48 लाख मूल्य की निष्प्रोज्य सामग्री का नीलामी न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके। कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी के अन्तर्गत संचालित राजकीय विकलांग कर्मशाला एवं उत्पादन केन्द्र चमियाला टिहरी गढ़वाल के निष्प्रोज्य सम्बन्धित लेखा अभिलेखो की जाँच में पाया गया कि ₹ 1.48 लाख सामग्री निष्प्रोज्य घोषित की गयी थी जिसका की नियमानुसार यथाशीघ्र नीलाम किया जाना अपेक्षित था जिसका अनुपालना (09/2017) इकाई द्वारा नहीं किया गया जिससे मूल्य में निरन्तर ह्रास के कारण राजस्व क्षति से इन्कार नही किया जा सकता है।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी ने उत्तर दिया कि नीलामी हेतु समिति का गठन कर अति शीघ्र नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। उत्तर स्वीकार नही हैः क्योंकि सामग्री की नीलामी हेतु कोई कार्यवाही नही की गयी।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 08:- बिना सत्यापन के रू 14749.49 लाख धनराशि का वृद्धावस्था पेशन का वितरण किया जाना।

जनपद में निवास करने वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पुरुष अथवा महिला को वृद्धावस्था पेंशन राज्य एवं केन्द्र द्वारा सम्मिलित रुप से समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदान किया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन ऐसे व्यक्ति जिनकी सभी श्रोतों से मासिक आय न्यूनतम ₹ 4000 से अधिक न हो तथा वह 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा जिनके 20 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुत्र की भी आय का कोई साधन न हो। ऐसे पात्र लाभार्थियों को वर्तमान में रु.1000 प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान किया जाता है। पेंशन की राशि का भुगतान त्रैमासिक रुप से अर्थात जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च माह में किया जाता है। उत्तराखण्ड़ शासन पत्राकं 5127 /स0क–लेखा/बजट–आवटनं /2016–17/ मार्च 2017 के अनुपालन में स्पष्ट प्रवधान था कि पेशन वितरण के समय योजनान्तर्गत निर्धारित दिशा निर्दोशो/मानको के आलोक में लाभार्थियों का शतप्रतिशत भैतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, नई टिहरी के वर्ष 2014–15 से 2017–18 के वृद्धावस्था अनुदान योजना के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त वर्षो में 190515 लाभार्थि हेतु रु 14749.49 लाख धनराशि स्वीकृत की गयी थी। निदेशालय के आदेशानुसार लाभार्थियों को शत प्रतिशत सत्यापन किया जाना चाहिए था। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नही किया गया है। यह पता ही नहीं चल पाता है कि पेंशन के रुप में निर्गत की जा रही धनराशि वास्तविक रुप से पात्र जीवित विधवा या पात्र लाभार्थी को ही प्रदान की जा रही है या नहीं। कार्यालय के पास इस तरह का कोई तंत्र/अभिलेख विद्यमान नहीं था जो यह सुनिश्चित कर सके कि त्रैमासिक भुगतान किए जाने से पूर्व मृत्यु की सूचना तिथि सहित कार्यालय को प्राप्त हो रही हो। इस तथ्यो से भी इनकार नही किया जा सकता है कि सत्यापन के अभाव में अयोग्य पेन्शनर को भुगतान न किया गया हों। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि भविष्य में भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी। **इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्त की स्वतः पुष्टि होती है।** क्याकि बिना सत्यापन के भुगतान किया जाने से मृत्यु/आपात्र लाभार्थियों को अदेय भुगतान की सम्भावना बनी रहती है।

अतः बिना सत्यापन के ही रू 14749.49 लाख धनराशि का वृद्धावस्था पेशन का वितरण किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 09:- विकलागं पेन्शन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को रू. 510.68 लाख का अनियमित प्रेषण करना।

विकलाग पेशन हेतु ऐसे व्यक्ति पात्र होगे जो बी०पी०एल श्रेणी के अन्तर्गत आता है। जिसकी मासिक आय रू 4000/– से अधिक न हो एवं एक परिवार मे पति पत्नी में से केवल एक ही व्यक्ति को पेशन का लाभ मिलेगा एवं महिला लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगाी। पेशन का भुगतान प्रतिमाह रू 1000/– की दर से त्रैमासिक आधार पर भुगतान किया जाता हें। निदेशक समाज कल्याण उत्तराखण्ड के पत्रांक सख्या 5137 दिनॉक 29 मार्च 2017 में स्पष्ट प्रावधान था कि निदेशालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार पेशन की धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातें में आनलाईन/डी.बी.टी के माध्यम से भुगतान किये जाना का प्रावधान है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी नई टिहरी के वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के विकलागं भरण पोषण से सम्बन्धित अभिलेखों की जाचॅ में पाया गया कि वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में 13845 लाभार्थि हेतु रु 1299.68 लाख विकलाग पेशन हेतु अवमुक्त किये गये थे। जाचॅ में पाया गया कि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में 6510 लाभार्थियों को रू. 510.68 लाख निदेशालय के आदेशों के विपरित आफ लाईन वितरण किया गया। जो कि आदेशों की अवहेलना है। जबकि उच्चधिकारी द्वारा स्पष्ट दिशानिर्देश दिये थे कि समस्त धनराशि का भुगतान आनलाईन किया जाये। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नही किया गया।लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि भविष्य में आदेशो का अनुपालन किया जायेगा।उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्योकि इकाई द्वारा धनराशि प्रेषण करने से पूर्व ही यह सुनिश्चित किया जाने चाहिए था कि समस्त लाभार्थियों के बैक खाते सी.बी.एस हो तत्पश्चात ही धनराशि **प्रे षत** किया जाना चाहिऐ था। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नही किया गया है।

अतः विकलागं पेन्शन योजना के अर्न्तगत में रू. 510.68 लाख का अनियमित प्रेषण करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 10:- दशोमोत्तर छात्रवृत्ति मद में विभाग की अवास्तविक निर्णय के कारण वर्ष 2016-17 में ₹ 143.39 लाख की धनराशि का समर्पण एवं 3856 लाभार्थी बंचित।

भारत सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओ को दशोमोत्तर छात्रवृत्ति का ऑनलाइन भुगतान उत्तराखण्ड शासन के आदेशानुसार दिनांक नवम्बर 2014 से प्रारम्भ किया गया था। |

शासन द्वारा भारत सरकार से आबंटित छात्रवृत्ति की धनराशि निदेशक, समाज कल्याण को प्रेषित किया जाता है ततपश्चात् निदेशालय द्वारा जनपद के मांग के अनुसार धनराशि जनपद स्तर में आबंटित किया जाता है।|

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी के छात्रवृत्ति सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया जो की निम्नबत है :-

मद	2016-17 में कुल बकाया प्राप्त धनराशि	बिगत दो वर्षो के लिए ब्यय	समर्पण
अनु: जाति	173.23	115.76	57.47
अन्य पिछड़ा वर्ग	91.81	5.89	85.92
अनु: जनजाति	--	--	--
योग	**265.04**	**121.65**	**143.39**

निदेशालय द्वारा विगत दो वर्ष की वकाया छात्रवृत्ति वर्ष 2016-17 में आवंटित किया गया था ताकि विगत वर्षो के अभुगतानित लाभार्थियो को छात्रवृत्ति प्रदान किया जा सके । विगत वर्ष के अभुगतानित लाभार्थियो का विवरण निम्नरूप :-

मद	2014-15			2015-16			2016-17			कुल योग
	कुल लाभार्थी सं	भुगतानित लाभार्थी सं	शेष	कुल लाभार्थी सं	भुगतानित लाभार्थी सं	शेष	कुल लाभार्थी सं	भुगतानित लाभार्थी सं	शेष	
अनु: जाति	3270	3206	42	3284	1075	2209	2209	2209	--	2251
अन्य पिछड़ी जाति	1780	1780	--	1850	1532	318	1480	368	1112	1430
अनु: जनजाति	224	224	--	180	180	--	175	--	--	175
योग										**3856**

अर्थात, वर्ष 2016-17 में विगत दो वर्षो की अवितरित धनराशि ₹ 143.39 लाख का समर्पण साथ ही विगत वर्ष में प्राप्त आबेदन पत्रों के सापेक्ष 3856 लाभार्थी को बंचित रहना पढ़ा। लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की माह मार्च में पोर्टल न खुलने के कारण समर्पण करना पढ़ा।

|अतः वर्ष 2016-17 के दशोमोत्तर छात्रवृत्ति मद में अवितरित धनराशि ₹ 143.39 लाख का समर्पण साथ ही 3856 लाभार्थी को बंचित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 11:- भू म की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना ही रू 39.81 लाख कार्यदायी संस्था के पास 03 वर्षो से अधिक समय से अवरूद्व रखना

अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में जनपद में रु0 707.49 लाख का आवंटन 49 कार्यो के निर्माण के लिए प्रदान किया गया था। इन कार्यो में बारात घर, सी0 सी0 मार्ग निर्माण, सम्पर्क मार्ग एवं सामुदायिक भवन आदि कार्य शामिल थे। **शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान था कि भूमि की उपलब्धता एवं योजना के भौतिक सत्यापन के पश्चात ही राशि का आहरण किया जाना सुनिश्चत किया जाना था।**

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, नई टिहरी के अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में स्वीकृत कार्यो के निर्माण से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि स्वीकृत कार्य में से 03 बरातघर ऐसे थें जिसकी भूमि की उपलब्धता न होने एवं 01 कार्य ऐसा है जो विवादित होने के कारण सम्प्रेक्षा अवधि (09/2017) तक प्रारभ्भ नही किया जा सका है। कार्यदायी संस्था को वर्ष 2013–14 रू 39.81 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चूकी है। जबकि कार्यालय को भूमि की उपलब्धता न होने एवं विवादित होने की दशा में धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त नही किया जाना चाहिए था। ऐसे कार्यो का विवरण निम्न हैं।

(धनराशि लाखो में)

क्रम सO	योजना का विवरण	स्वीकृत धनराशि	आवटनं धनराशि	भोतिक प्रगति
01	अनु0बस्तीभटवाड़ा जाखणीधार	19.88	9.88	भूमि उपलब्ध नही है
02	अनु0बस्तीचौण्ड जाखणीधार	19.88	9.88	भूमि उपलब्ध नही है
03	अनु0बस्ती पटुडी	19.88	9.88	भूमि उपलब्ध नही है
04	अनु0बस्ती खुरमोला	20.35	10.17	बरात के निमार्ण कार्य पर समाज कल्याण विभाग द्वारा रोक लगा दी गई है।
	योग		39.81	

इस प्रकार भूमि उपलब्ध न होने एवं विवादित होने के कारण प्रारभ्भ ही नही कराये जा सके है। कार्य समयान्तर्गत पूर्ण न होने के फलस्वरूप योजना का उदेश्य भी पूर्णता विफल रहा। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि कार्यालय द्वारा भूमि उपलब्ध न होने के कारण जो धनराशि अवमुक्त की गयी थी उस धनराशि को वापस मांगने की कार्यवाही की जायेगी। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ती स्वतः पुष्टि होती है।

अतः भूमी की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना ही रू 39.81 लाख कार्यदायी संस्था के पास 03 वर्षो से अधिक समय से अवरूद्व रखना का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01:- शासनादेश का उल्लंघन कर कोषागार से आहरित धनराशि ₹ 559.27 लाख की इन्द्राज रोकड़ बही में न दर्शाना। |

कोषागार के माध्यम से समस्त शासकीय भुगतान सीधे संबंधितों के बैंक खातें में अंतरण कर इ-पेमेंट प्रणाली को लागु किये जाने से सम्बंधित उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के दिशानिर्देश दिनांक 01/2013 के बिंदु सं 4.9 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से ekosh.uk.gov.in पर अपने Login ID से अपने देयको की धनराशि संबंधितों के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के बिबरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित बिबरण 11-सी पंजिका, कैश बुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रबिष्टि यथा स्थल पर करेंगे |

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी के लेखापरीक्षा के दौरान ब्यय के चयनित माह मार्च 2015 एवं मार्च 2016 की वाउचर के साथ रोकड़ बही के जाँच करते समय यह देखा गया की कोषागार से उक्त दोनों माह में कुल ₹ 55,92,71,060=00 की धनराशि आहरण किया गया पर उसकी आहरण एवं भुगतान की इन्द्राज रोकड़ बही में दर्शया नही गया | जाँच में यह भी देखा गया की उक्त दोनों माह के अतिरिक्त वर्ष में कोई भी माह की कोषागार से आहरित धनराशि का आहरण तथा भुगतान की इन्द्राज रोकड़ बही में नही है अर्थात कार्यालय में इसकी प्रचलन नही है |

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति पर सहमत प्रदान करते हुए बताया गया की भबिष्य में अनुपालन किया जायेगा |

अतः शासनादेश का उल्लंघन कर कोषागार से आहरित धनराशि ₹ 559.27 लाख की इन्द्राज रोकड़ बही में न दर्शाए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

वर्ष	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	**STAN**
2009-10	01	01,02,	शून्य
2011-12	शून्य	01,02,	शून्य
2012-13	01	01.02.03	शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त व र्णत अनस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के सम्बन्ध में इकाई ने अवगत कराया क माह मई 2016 में कार्यालय नरेन्द्रनगर से आने के कारण पूर्व में जारी की गई अनुपालन आख्या मल नही रहा है एवं उपलब्ध कराने में असमर्थ है। अतः संस्तुति एवं साक्ष्य के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही नही की जा सकी। यह भी अवगत कराया क वर्तमान स्थिति को लेते हुए शीघ्र ही तैयार कर उ चत माध्यम से महालेखाकारा कार्यालय को प्रे षत कर दिया जाएगा।				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

<u>भाग-V</u>

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला समाज कल्याण अ धकारी, टिहरी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनिय मतताएं

शून्य

4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अव ध
1.	श्री ए.के. सैनी	जिला समाज कल्याण अ धकारी	12/2013 से 04/2014
2.	श्री जीत संह रावत	जिला समाज कल्याण अ धकारी	05/2014 से 07/2015
3.	श्री अ वनाश संह भदोरिया	जिला समाज कल्याण अ धकारी	07/2015 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला समाज कल्याण अ धकारी, टिहरी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.